न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी:- जगदीश प्रसाद गौड़
R.A.S

अपील सं 13/2009

उनवान

मालू सिंह बनाम बनवारी वगैरा

उपस्थित:- श्री रोशन लाल अग्रवाल एड॰ - अपीलान्ट
श्री रामस्वरूप गुप्ता एड॰ - रेस्पो॰

प्रार्थना पत्र बाबत कायम
मुकामान

<u>निर्णय</u> दिनांक 27/4/17

प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकामान के दोनो प्रार्थना पत्रो पर बहस अनुसार उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट काफी वृद्ध व अनपढ़ व्यक्ति है। प्रार्थी उक्त मुकदमें के सम्बन्ध में अपने वकील के भरोसे पर निर्भर था। रेस्पो॰ न॰7 व अपीलान्ट न॰2 के कायम मुकामान प्रार्थना के सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी एवं प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत भी कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट काश्तकार व्यक्ति है। ग्रामिण क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त मुकदमे के सम्बन्ध में प्रार्थी अपने वकील के पास आया तब बताने पर प्रार्थी को जानकारी हुई। इसलिए कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पेश करने में विलम्ब हुआ। मियाद बाबत दफा 5 का प्रा॰पत्र साथ मे पेश किया है जो मियाद के लिए पेश किया जाता है। उक्त भूमि गुप्तदान की है इसलिए यह विक्रय पत्र ही गलत है अपीलान्ट की ओर से न्यायाा॰ अति॰ वरिष्ठ सिविल जज नीमकाथाना मे एक वाद 233/14 कर रखा है जिसके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 10-4-64 को चुनोती दी है। इसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मु॰न॰ 126/14 भी पेश कर रखा है जिसमे दिनांक 17-11-2016 को अपीलान्ट के पक्ष में मूल वाद के निस्तारण तक मौका व रिकार्ड कि यथास्थिति के आदेश दिये है।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

रेस्पो० द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है। लिमिटेशन बाबत दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का प्रावधान है जो हमने प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र दोनों बाबत कायम मुकामान स्वीकार फरमाये जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पो० ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र तथ्य छुपाकर पेश किये गये है। रेस्पो न०7 की मृत्यु दिनांक 3-12-2009 को हुई थी जो दिनांक अपीलान्ट द्वारा अपने प्रा०पत्र में अंकित नहीं की गई है। अपीलान्ट न०1 व 2 दोनों सगे भाई है। अपीलान्ट न०2 की मृत्यु की जानकारी मृत्यु होने की दिनांक से ही अपीलान्ट को थी। 90 दिन की अवधि में कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर अपील/दावा स्वतः अबेट हो जाते है। अपीलान्ट द्वारा इसी रेस्पो० के विरुद्ध दिनांक 10-4-64 को उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने का दावा पेश किया था जो इस समय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश II नीमकाथाना मे विचाराधीन है। मान० वरिष्ठ सिविल न्याया० II नीमकाथाना ने दिनांक 12-5-2016 को कायम मुकामी प्रा०पत्र खारीज कर दावा रेस्पो० 7 के विरुद्ध अबेट कर दिया है। कायम मुकामान प्रा०पत्र करीब 4½ साल बाद पेश किया गया है। धारा 5 मियाद अधि० मे समयावधि समाप्त होने के पश्चात हर दिन की देरी को स्पष्ट करना होता है। जो नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील भी लगभग 35 साल बाद पेश की गई है। जो खारीज होने योग्य है। दौराने बहस वकील रेस्पो० ने RLW 2007(1) RJ नजीर पेश करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र कायम मुकामान खारीज फरमाया जावे एवं अपील अबेट फरमायी जावें।

बहस वकुलाय पर मनन किया गया एवं पत्रावली व प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्रो का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट ने रेस्पो० न०7 के वारीसान को रिकार्ड पर लेने का प्रा०पत्र पेश किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय कि आदेशिका दिनांक 18.3.2010 के अवलोकन से अपीलान्ट को रेस्पो० सं 7 की मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी हो जाना स्पष्ट है। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25-3-2014 को इतनी लम्बी अवधि करीब 4½ साल के पश्चात न्यायालय के समक्ष रेस्पो० न०7 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

पेश किया है। इसी प्रकार अपीलान्ट न॰2 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र भी विलम्ब से पेश किया है। जबकि अपीलान्ट को अपीलान्ट न॰2 कि मृत्यु होने कि जानकारी शुरू से होना स्वभाविक है क्योंकि अपीलान्ट न॰2 अपीलान्ट का सगा भाई है। इस बात पर विश्वास नही किया जा सकता कि अपीलान्ट को अपीलान्ट न॰2 की मृत्यु होने कि जानकारी पूर्व से न हों।" मियाद अधिनियम के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है हालांकि अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी विलम्ब माफी बाबत पेश किया है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में कोई विशेष एवं पर्याप्त कारण देरी माफी के सन्दर्भ में अंकित नही किया है" अपीलान्ट द्वारा ना ही प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है न ही प्रार्थना पत्र में मृत्यु कि दिनांक अंकित कि है।— अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमे कहीं भी उल्लेख नही है कि प्रार्थना पत्र किस प्रावधान के तहत पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अपीलान्ट द्वारा अपील भी करीब 35 साल बाद पेश कि गई है। वकील रेस्पो॰ द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया जिसमे भी स्पष्ट उल्लेख है कि जानकारी होने के पश्चात भी समयावधि मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर याचिका का सम्पूर्ण रूप से शमन हो जाता है। इस प्रकार वकील रेस्पो॰ द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कायम मुकामान प्रार्थना पत्र दोनो अस्वीकार कर खारिज किये जाते है एवं इसी के साथ मूल अपील अबेट की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/4/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)